पत्रांक– 2ब० / विविध–21–09 / 2021 / न०वि०एवंआ०वि०

* ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0008–नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय, विपत्र कोड सं०–48-2217800010008 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹6966000.00 (उनहत्तर लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0008–नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय, विपत्र कोड सं०–48-2217800010008 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल **₹6966000.00 (उनहत्तर लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र** निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	0008.01.01– वेतन	2396000.00	2396000.00
2	0008.01.03– जीवन यापन भत्ता	1620000.00	1620000.00
3	0008.01.04– मकान किराया भत्ता	480000.00	480000.00
4	0008.01.05 – परिवहन भत्ता	96000.00	96000.00
5	0008.01.06 – चिकित्सा भत्ता	24000.00	24000.00
6	0008.01.07 – अन्य भत्ता	200000.00	200000.00
	योग–(क) वेतन एवं भत्ते	**4816000.00**	**4816000.00**
7	0008.06.01– चिकित्सा प्रतिपूर्ति	225000.00	225000.00
8	0008.11.01– यात्रा व्यय	225000.00	225000.00
9	0008.13.01– कार्यालय व्यय	500000.00	500000.00
10	0008.13.03– दूरभाष	100000.00	100000.00
11	0008.13.05– विधि प्रभार	500000.00	500000.00
12	0008.13.10– भाड़े की गाड़ी	600000.00	600000.00
	योग (ख)	**2150000.00**	**2150000.00**
	कुल योग (क+ख)	**6966000.00**	**6966000.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹6966000.00 (उनहत्तर लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. **पूर्व पृष्ठ के तालिका के स्तम्भ–4 में स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।** राशि का व्यय बिहार नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मी के वेतनादि मद में किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. स्वीकृत राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 के आलोक में व्यय किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०–48-2217800010008 मांग सं०–48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/विविध–21–09/2021 के पृष्ठ सं०–....39..../टि० पर दिनांक–01.04.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ....40..../टि० पर दिनांक– 01.04.26 को प्राप्त है।

7. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–09/2021 – 04 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक– 01.04.26

प्रतिलिपिः– वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एंव आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।